

(सिर्फ कार्यालय में व्यवहार के लिए)




# झारखंड राज्य के वन प्रमंडलों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2022-23



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) का कार्यालय  
झारखण्ड, रांची- 834002

(सिर्फ कार्यालय में व्यवहार के लिए)



# झारखंड राज्य के वन प्रमंडलों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा

वर्ष 2022-23



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) का कार्यालय  
झारखण्ड, रांची- 834002



## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1, के कंडिका 9.10 के प्रावधान के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये वन विभाग के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा तैयार की जाती है।

वन लेखा प्रणाली, लेखा की सामान्य प्रणाली का एक अभिन्न भाग है। संकलनकर्ता की ओर से इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वन प्रभागों द्वारा चरणबद्ध वर्गीकृत सार तक के संकलित लेखे महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत हों। वन प्रभागों द्वारा संकलित लेखे महालेखाकार कार्यालय में समेकित किए जाते हैं, जिन्हें अंत में एक बड़े लेखांकन प्रपत्र में एकीकृत किए जाते हैं।

यह समीक्षा वन विभागों के कार्यों तथा वित्तीय वर्ष, 2022-23 के दौरान उनके द्वारा रखे गए प्रारंभिक एवं सहायक लेखों की स्थिति के संबंध में जानकारी देती है।

इस समीक्षा का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के वन प्रभागों/अंचलों के लेखाओं के रखरखाव एवं लेखांकन में परिलक्षित अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की त्रुटियों को इंगित करके उनमें आवश्यक सुधार करना है तथा कमियों के प्रमुख क्षेत्रों को इस उद्देश्य के साथ उजागर करना है, कि कार्यकारी अधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु सूचक उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा में, यदि महत्वपूर्ण अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है। इस समीक्षा की अभिवृद्धि के लिए हम सुझावों/संस्तुतियों का स्वागत करते हैं।



(राज कुमार अग्रवाल)  
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0)  
झारखंड, राँची।



## विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	वन विभाग की संगठनात्मक संरचना, समीक्षा का कार्य क्षेत्र	1
अध्याय-2	विलम्ब से मासिक लेखा जमा करना	2-4
अध्याय-3	गलत वर्गीकरण एवं अशुद्ध लेखाकरण (व्यय का गलत/अशुद्ध वर्गीकरण, प्राप्तियों एवं व्यय का गैर समाधान/मिलान न करना)	5-7
अध्याय-4	वन प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक असमायोजित शेष	8
अध्याय-5	संस्तुतियाँ/सुझाव	9
अध्याय-6	कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली	10-12
अध्याय-7	केन्द्रीय एवं स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा पाई गई अनियमितताएँ	13-36
अनुबंध -	“क”	37-45
	“ख”	46-48



# अध्याय-1

## 1.1 वन विभाग की संगठनात्मक संरचना

झारखण्ड राज्य के वन विभाग का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण का संचालन प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा होता है। वन विभाग का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची हैं, जिनकी सहायता निम्न पदाधिकारियों द्वारा होती है:-

- \* एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
- \* एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड राँची।
- \* अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 10 (दस)
- \* क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक 06 (छः)
- \* मुख्य वन संरक्षक 09 (नौ)
- \* वन संरक्षक 21 (एक्कीस)
- \* उप वन संरक्षक 39 (उनचालीस)
- \* सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी 91 (इक्यानवे)

## 1.2 समीक्षा की आवश्यकता-

प्रस्तुत समीक्षा में झारखण्ड के 113 वन प्रभाग/प्रमंडल सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखण्ड को मासिक लेखा समर्पित किया जाता है। मासिक लेखाओं के संकलन के दौरान जो अशुद्धियाँ पाई गई हैं, उन्हें क्रमवार इस समीक्षा पुस्तक में दर्शाया गया है एवं अगले अध्यायों में समीक्षा का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।



## अध्याय- 2

### 2.1 विलम्ब से मासिक लेखा जमा करना

2.1.1 लेखा संहिता भाग III में उद्धृत अनुच्छेद 288 के अनुसार वन प्रमंडलों के पदाधिकारियों द्वारा प्रति माह संकलित मासिक नगद लेखा, राजस्व एवं व्यय का वर्गीकृत सारांश, अनुसूचियाँ एवं सार पत्र अगले माह की 5 तारीख तथा मार्च माह के मासिक लेखे को 12 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया जाना है। यद्यपि वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक वन लेखा समयावधि के अन्दर भेजने में कुछ सुधार हुआ है परन्तु विगत वर्षों की तुलना में यह पाया गया है कि अभी भी कुछ प्रमंडलीय वन पदाधिकारीगण समयानुसार मासिक लेखा समर्पित नहीं कर रहे हैं। महालेखाकार को विलम्ब से भेजे गए मासिक लेखाओं का वर्गीकृत सार अनुबंध "क" में दर्शाया गया है।

#### 2022-23 में वन प्रमण्डलों/अंचलों द्वारा भेजे गए मासिक लेखाओं का विवरण


माह	कुल लेखाओं की संख्या	नियत तिथि पर प्राप्त लेखाओं की संख्या	नियत तिथि के बाद किन्तु लेखा बंद होने के पूर्व प्राप्त लेखाओं की संख्या	लेखा बंद होने के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं की संख्या	विलम्ब से प्राप्त लेखाओं का प्रतिशत	लेखा बंद होने के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का प्रतिशत
अप्रैल	113	30	63	20	73.45	17.69
मई	113	73	40	00	35.40	00
जून	113	35	78	00	69.02	00
जुलाई	113	60	49	04	46.90	03.54
अगस्त	113	40	68	05	64.60	4.42
सितम्बर	113	01	106	06	99.12	5.31
अक्टूबर	113	43	65	05	61.95	4.42
नवम्बर	113	34	73	06	69.91	5.31
दिसम्बर	113	30	77	06	73.45	5.31
जनवरी	113	28	78	07	75.22	6.19
फरवरी	113	26	80	07	76.99	6.19
मार्च	113	35	78	00	69.02	00
<b>कुल</b>	<b>1356</b>	<b>435</b>	<b>855</b>	<b>66</b>	<b>63.05</b>	<b>4.87</b>

## 2022-23 में भेजे गए मासिक लेखा

	समयावधि के अन्तर्गत	29 दिनों तक का विलम्ब	30 से 90 दिनों का विलम्ब	90 दिनों से अधिक का विलम्ब	कुल
लेखाओं की संख्या	435	897	24	0	1356
प्रतिशत में	32.08	66.15	1.77	0	100

### विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखाओं का विगत तीन वर्षों का प्रतिशतवार आंकड़ा

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
समयावधि के अंतर्गत	373 (27.51%)	497 (36.65%)	435 (32.08%)
29 दिनों का विलंब	887(65.42%)	773 (57.01%)	897 (66.15%)
30 से 90 दिनों का विलंब	92 (6.78%)	82 (6.05%)	24 (1.77 %)
90 दिनों से अधिक का विलंब	4 (0.29%)	4 (0.29%)	0



### वर्षवार तुलनात्मक विवरण

- 2.1.2** प्रमंडलीय वन पदाधिकारियों द्वारा विलम्ब से मासिक लेखा भेजने की सूचना वन विभाग के पदाधिकारियों तथा झारखण्ड सरकार के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को नियमित रूप से दिया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप मासिक लेखा समयावधि के अन्तर्गत भेजने की दिशा में कुछ सुधार अवश्य पाया गया है, परन्तु यह संतोषप्रद नहीं है।
- 2.1.3** विलम्ब से मासिक लेखा भेजने का प्रभाव राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों पर पड़ता है क्योंकि विलम्ब से प्राप्त हुए मासिक लेखा संबंधित माह के राज्य लेखे में शामिल नहीं किये जाने पर उस माह में राज्य लेखे का वास्तविक व्यय परिलक्षित नहीं हो पाता है। विलम्बित लेखा का प्रत्यक्ष प्रभाव महालेखाकार की वार्षिक लेखा समाप्ति पर विनियोग एवं वित्त लेखे को तैयार करने की प्रक्रिया एवं अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय पर भी पड़ता है। इसके आधार पर ही व्यय प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाते हैं।
- 2.1.4** झारखण्ड सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ ऐसा ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय में समय पर प्राप्त हो।

**क- मासिक लेखे के साथ संलग्न कागजातों में कमी:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

**ख- मार्च के अन्त तक आपत्ति के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि का विवरण:-**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

## अध्याय-3

### गलत वर्गीकरण एवं अशुद्ध लेखाकरण

मासिक लेखाओं के संकलन के दौरान कुछ कमियाँ चिन्हित की गई हैं, जो निर्धारित लेखाविधि के अनुसार नहीं हैं। चिन्हित की गई कमियाँ निम्नलिखित हैं -

#### 3.1 आयकर/विक्रयकर की वसूलियाँ-

वेतन और ठेकेदारों के बिल की वसूली की गई आयकर एवं बिक्रीकर की राशियों को नकद खाते के प्राप्ति कॉलम के शीर्ष "8658-112" स्रोतों से वसूली गई कर को 0021- आयकर एवं 0040- बिक्री कर के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् विपत्र की शुद्ध राशि नकद खाता के व्यय कॉलम में मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य जीवन के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। इस तरह से, जो राशि वसूल की जाती है, उसे कोणागार में ही आर फार्म संख्या 7 के द्वारा वर्गीकृत करके शीर्ष 8782-00-103 के अन्तर्गत भेजा जाना चाहिए न कि सीधे तौर पर शीर्ष 0021 - आयकर एवं 0040 - बिक्री कर- के अन्तर्गत दर्ज कर दिया जाना चाहिए।

#### 3.2 झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर की वसूलियाँ-

झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2018 के प्रभाव से संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को किए जाने वाले भुगतान पर प्रमंडलों/अंचलों द्वारा 2.50 लाख से ऊपर के मूल्य पर संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों से GST-TDS (CGST, SGST, IGST) की कटौती की जानी है, तत्पश्चात इस राशि की कटौती कर इसे GSTN Council को प्रेषित किया जाना है।

परन्तु मासिक लेखाओं को देखे जाने पर यह प्रतीत होता है कि अधिकांश प्रमंडल/अंचल उक्त नियम का अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं।

#### 3.3 मजदूरी मद में भुगतेय राशि का भुगतान

योजना अंतर्गत मजदूरी मद में भुगतेय राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से किया जाना तय है एवं सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक श्रमिकों के खाते में पेमेंट एडवाइस जारी कर किया जाना है, तथा ऐसे पेमेंट एडवाइस की प्रति विपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत किया जाना है। परन्तु ऐसा देखा जा रहा है, कि कई प्रमंडल/अंचल विपत्र के साथ पेमेंट एडवाइस भेजना आवश्यक नहीं समझते।

कई प्रमंडलों द्वारा पेमेंट आर्डर तो भेजा जाता है, परन्तु उन सभी में निम्न त्रुटियाँ पाई जाती हैं:-

1. आर्डर नंबर एवं दिनांक का नहीं पाया जाना।
2. जिस भी मस्टर रोल के तहत पेमेंट किया जा रहा है, उसकी संख्या अंकित नहीं रहना।
3. मानव दिवस का अंकित न होना।

#### 3.4 लेजर लेखा में पदनाम से प्रविष्टि किया जाना

लेजर लेखा में प्रविष्टि व्यक्तिगत नाम से होना चाहिए न कि पदनाम से, परन्तु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, समाजिक

वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा के लेजर लेखा में पदनाम से प्रविष्टि किया जाता है जिसके फलस्वरूप बकाये राशि की सकल गणना कठिन हो जाती है।

### 3.5 प्राप्तियों एवं व्ययों का त्रैमासिक पुनर्मिलान/मिलान न करना -

वन विभाग के प्रभागीय पदाधिकारीगण द्वारा समर्पित संकलित मासिक लेखाओं को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में दर्ज किया जाता है। महालेखाकार कार्यालय में दर्ज प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों का पुनर्मिलान विभागीय आँकड़ों के साथ किया जाना अत्यावश्यक है, जिससे राज्य सरकार के लेखे में लेखाशीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक आँकड़े परिलक्षित हो सके।

नियमित एवं समय पर "प्राप्तियों एवं व्ययों" दोनों आँकड़ों के मिलान को सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रमंडलीय पदाधिकारियों को त्रैमासिक मिलान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा लेखा का त्रैमासिक मिलान निम्नलिखित अनुसूची/सारणी के अनुसार किया जा सकता है -

क्रम सं०	त्रैमासिक लेखे की अवधि	पुनर्मिलान/मिलान की निर्धारित तिथि
1-	प्रथम - अप्रैल से जून	1 अगस्त से 31 अगस्त तक
2-	द्वितीय - जुलाई से सितम्बर	1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक
3-	तृतीय - अक्टूबर से दिसम्बर	1 फरवरी से फरवरी के अन्त तक
4-	चतुर्थ - जनवरी से मार्च	1 मई से 31 मई तक

प्रमंडलीय पदाधिकारियों के द्वारा पुनर्मिलान/मिलान की स्थिति निम्न है -

त्रैमासिक	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक
कुल वन प्रमण्डल	113	113	113	113
प्रेषण	113	113	113	113

3.6 निम्नलिखित स्थापनाओं का वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर ठेकेदारों एवं संवितरकों के खातों में असमायोजित वन अग्रिम की राशि का विवरण निम्न है-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में असमायोजित वन अग्रिम की राशि का विवरण

क्रम सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	असमायोजित वन अग्रिम की राशि
1.	DGRFOR194	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	12,69,729.40
2.	DMKFOR001	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	5,80,880.95
3.	DMKFOR 233	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	1,27,718.00
4.	DRNFOR189	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी झारखण्ड, राँची	3,78,972.00
5.	DRNFOR263	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	53.73
6.	GMLFOR121	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	4,86,311.26
7.	GRDFOR284	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	3,18,898.00
8.	GRHFOR131	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा (दक्षिणी) वन प्रमण्डल, गढ़वा	17,62,159.48
9.	HZBFOR058	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	18,56,355.00
10.	HZBFOR105	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, हजारीबाग पश्चिमी	8,07,955.00
11.	JSRFOR268	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	738.14
12.	JSRFOR269	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	39,90,367.90
13.	KDMFOR229	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	23,75,706.02
14.	KDMFOR230	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	2,14,183.00
15.	KHNFOR226	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	1,00,128.00
16.	LTRFOR236	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	44,64,118.42
17.	PLMFOR287	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	20035130.83
18.	SGHFOR089	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	85,786.00
19.	SGHFOR090	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	41,50,620.07
20.	SGHFOR140	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	36,217.40

## अध्याय-4

### वन प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक असमायोजित शेष

लेखा संहिता खण्ड III के अनुच्छेद 2 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नियमावली के स्थाई आदेशों (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के सन्दर्भ में सभी वन पदाधिकारियों को चेक के आहरण की मासिक पंजी, भंडारों/राजकोष के लिए विप्रेषण की अनुसूचि और निर्धारित प्रपत्र में विवरण की प्रति महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक माह में भुनाए गए चैकों एवं भंडार/राजकोष में विप्रेषण विधिवत सत्यापित विवरण पर आधारित होनी चाहिए। किन्तु वन प्रमंडलों द्वारा उपरोक्त विवरण मासिक नकदी लेखा के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च को असमायोजित शेष संचित हो जाता है। पिछले तीन वर्षों का विवरण नीचे दिया गया है-

### "8782-103 वन प्रेषण की स्थिति"

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (राशि करोड़ में)	प्राप्तियां (राशि करोड़ में)	भुगतान (राशि करोड़ में)	अंतशेष (राशि करोड़ में)
2019-20	24.33	540.04	541.25	23.12
2020-21	23.12	563.21	571.13	15.20
2021-22	15.20	641.21	674.91	-18.50
2022-23	-18.50	988.53	960.07	9.96

इस प्रकार का संचय, सार्वजनिक धन का अनियमित आहरण एवं गबन को प्रेरित करता है। यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस सुधार नहीं देखा गया है। समेकित राजकोष प्राप्तियों एवं मासिक खातों के साथ चेकों के समेकित राजकोष मुद्दों के लंबित एवं वर्तमान विवरण के प्रतिपादन को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल एवं प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए ताकि बकाए समेकित शेष को स्पष्ट भुगतान करने के लिए इस कार्यालय को सक्षम बनाया जा सके। इसके साथ ही सही आहरण एवं चैक तथा राजस्व की जमा राशियों के नकदीकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

## अध्याय-5

### संस्तुतियाँ/सुझाव

**वन लेखांकन की प्रणाली में सुधार करने के लिए निम्न संस्तुतियाँ/सुझाव दिये गये हैं-**

- 1- भविष्य में मासिक लेखा का समय पर प्रस्तुतीकरण विशेषकर मार्च माह के लेखाओं को समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।
- 2- खातों में व्यय एवं प्राप्ति संबंधी आँकड़ों के गलत वर्गीकरण एवं अशुद्धियों से बचने के लिए आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों द्वारा बिल/वाउचर/चालान आदि में सही वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाना ।
- 3- इस कार्यालय की समय-समय (मासिक-त्रैमासिक) पर एवं वार्षिक विभागीय आँकड़ों के सन्दर्भ में लेखा बही में प्रदर्शित होने वाले वास्तविकता के सत्यापन को पूरा करने हेतु नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किया जाय ।
- 4- विप्रेषण एवं चेक जारी किए/भुनाए गए विलंबित विवरणों में, राजकोष में, जो कि काफी समय से लंबित है और जिसके परिणामस्वरूप असमायोजित शेष को प्रपत्रों के अनुसार अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु तात्कालिक उपाय किये जाने चाहिये ।
- 5- केन्द्रीय तथा स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वैसी ही समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम शीघ्रातिशीघ्र उठाया जाय ।
- 6- मासिक लेखाओं के साथ विवरणी 1 एवं विवरणी 2 को प्रस्तुत करने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए, साथ ही अनुसूची के साथ भुनाए गए चैकों एवं कोागार में प्रेषित चालानों की विस्तृत विवरणी अनिवार्य रूप से संलग्न रहनी चाहिए ।
- 7- कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) के अंतर्गत लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण 2020-21 में किया जाना था । कुछ वन प्रभागों द्वारा लेखाकरण का कार्य आरम्भ किया गया है, किन्तु वन विभाग द्वारा इस दिशा में सुधार हेतु प्रयास करना आवश्यक है ।
- 8- योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जानी है।

साथ ही जैसे यन्त्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण (JCB, Tractor etc.) जिसका इस्तेमाल भूमि सम्बन्धी कार्यों के लिए किसी बाह्य स्रोतों से किराये/अनुबंध पर लेकर किया जाना है, का इस्तेमाल निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् किया जाना है। परन्तु मासिक लेखाओं में ऐसे कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाते हैं, जिससे यह तय करना कठिन हो जाता है कि निविदा आमंत्रित भी की गयी भी या नहीं।



## अध्याय- 6

### कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS)

कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण 2022-23 में किया जाना था, जिसमें कुछ वन प्रभागों द्वारा लेखाकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है, उसका विवरण निम्न है:-

माह	कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली के अन्तर्गत लेखाओं का संकलन करने वाले प्रमंडलों/अंचलों की संख्या ।
अप्रैल	88
मई	87
जून	90
जुलाई	88
अगस्त	91
सितम्बर	31
अक्टूबर	87
नवम्बर	84
दिसम्बर	83
जनवरी	79
फ़रवरी	85
मार्च	84

वर्ष 2022-23 में कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत लेखाओं का संकलन करने वाले प्रमंडलों/अंचलों का पूर्ण विवरण अनुबंध-ख में उल्लेखित हैं ।

## कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली ( WAMIS ) का विवरण

केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के तहत शामिल परियोजनाओं के व्यय की गुणवत्ता की निगरानी और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर दिये गये जोर को ध्यान में रखते हुए, सीडैक, पुणे ने ऐसी परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की निगरानी हेतु एक सामान्य ढांचा विकसित करने का प्रयास किया। यह प्रणाली केन्द्रीकृत वास्तुकला पर आधारित समाधान के रूप में परिणत हुआ, जो कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) के रूप में ज्ञात है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इ-गवर्नेन्स विभाग, झारखंड सरकार ने सीडैक, पुणे के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखंड राज्य में इस एप्लीकेशन को लागू करना शुरू किया और वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसे आरंभ कर दिया। यह प्रणाली एक विशिष्ट निर्माण परियोजना के पूरे जीवन चक्र को इसके प्रारंभ से लेकर अंतिम समापन तक शामिल करती है। यह प्रणाली कार्यप्रवाह सक्षम है और इसमें नीचे वर्णित मॉड्यूल के रूप में विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक शामिल हैं।

- 1. संबद्ध एजेंसियों और लाइन विभाग के साथ एकीकरण-** WAMIS को अन्य लाइन विभागों या नोडल एजेंसियों के साथ एकीकरण पहलुओं का व्यापक अध्ययन करते हुए विकसित किया गया है, जिससे वास्तविक समय में राजस्व एवं व्यय के ऑनलाइन समाधान की सुविधा मिलती है। साथ ही WAMIS को ट्रेजरी सिस्टम कुबेर (KUBER) और महालेखाकार कार्यालय के लेखांकन प्रणाली VLC (वाउचर लेवल कंपाइलेशन) के साथ एकीकृत किया गया है।
- 2. लेखा प्रबंधन प्रणाली-** यह एक वाउचर आधारित लेखा प्रणाली है, जो एक विशिष्ट डी.डी.ओ. कार्यालय में सभी वित्तीय लेन-देनों को दर्ज करती है। यह प्रणाली कैशबुक सहित सभी प्रासंगिक अनुसूचियाँ उत्पन्न करती है, जिन्हें हर महीने के अंत में महालेखाकार कार्यालय में समर्पित किये जाने की आवश्यकता होती है। यह प्रणाली सी.पी. डब्ल्यू.ए. कोड पर आधारित है, जो लेखांकन उद्देश्यों के लिए विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों के लिए निर्धारित किया गया है।
- 3. प्रबंधन सूचना प्रणाली-** एक व्यापक एम.आई.एस. डैशबोर्ड के रूप में विकसित किया गया है, जो विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देता है तथा उसे विभाग के सभी कार्यालयों के लिए संकलित किया गया है। बजटीय अनुदान, एम.बी.रिकॉर्डिंग और निर्धारित समय सीमा के विरुद्ध विभिन्न मापदंडों, जैसे-लेखाशीर्ष, योजनाओं/कार्यक्रमों, उपयोगकर्ता विभागों, बुनियादी ढांचे के प्रकार, आवंटन, परिभाषित भौतिक दायरे आदि के अंतर्गत विश्लेषण किया जाता है।

#### 4. WAMIS में कार्यप्रवाह



#### 5. WAMIS एप्लीकेशन का उद्देश्य

- ❖ वित्तीय स्थिति के अनुसार विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का आकलन करना ।
- ❖ वैधानिक सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में बजट अनुमान, मासिक लेखा और बहीखाता तैयार करना ।
- ❖ बजट के अनुसार प्राप्त अनुदान/आवंटन के विरुद्ध व्यय का आकलन करना ।
- ❖ विभाग के व्यक्तिगत कार्यात्मक विंग की दक्षता में वृद्धि करना ।
- ❖ जानकारी साझा करना, तथा जहां उचित और संभव हो, संघीय, राज्य और स्थानीय डेटा को एकीकृत करना ।
- ❖ डिजिटल रूप से डेटा जमा करना और ऑनलाइन समाधान हेतु अन्य संबंधित विभागों/नोडल एजेंसियों जैसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, झारखण्ड और राज्य के कोषागारों की प्रणालियों के साथ एकीकरण करना ।
- ❖ डेटा संग्रह में समेकन को बढ़ावा देने और सक्षम करने वाली सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाकर व्यवसायों पर बोझ कम करना ।
- ❖ सफलता के उपायों को परिभाषित करना और नियमित रूप से निगरानी करना और प्रदर्शन को मापना ।

#### 6- प्रभाव

- ❖ इकाई योजनाओं में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के विभिन्न खातों में अप्रयुक्त पड़ी भारी धनराशि का उचित उपयोग ।
- ❖ रिलीज और व्यय के बीच का समय अंतराल सिस्टम में एक फ्लोट बनाता है, जिसमें “वहन लागत” होती है। अनुमान के अनुसार यह “वहन लागत” हजारों करोड़ से अधिक हो सकती है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है।
- ❖ बजटीय अनुदान के विरुद्ध व्यय का मिलान ।

## अध्याय-7

वन, पर्यावरण विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के प्रमंडल/अंचल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा के द्वारा पाई गई अनियमितताएँ ।

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि ( लाख में )	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
1.	2/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर	1		तीन एजेंसियों से खरीद एवं सेवाओं में अनियमितता ।		
			a		तीन आपूर्तिकर्ताओं के एक ही बैंक खाते का ब्यौरा		
			b		बिना निविदा/कोटेशन आमंत्रित किए कार्य प्रदान करना ।		
			c		प्राप्त सामग्री के संबंध में प्रमाण-पत्र ।		
			d		स्वत्व शुल्क की गैर कटौती ।		
				2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वाउचर पास नहीं किये गए ।		
				3	पुनासी जलाशय योजना के अंतर्गत वनीकरण कार्य के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण रुपए 7.23 करोड़ का अवरोधन ।		723.00
				4	उपभोक्ता एजेंसी द्वारा एफ.सी. अधिनियम की शर्त का गैर अनुपालन ।		
				5	वन भूमि के अतिक्रमण की बेदखली न करना ।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				6	अवैध कटाई/जब्त बनोपन का निस्तारण न करना।		
				7	कैम्पा (CAMP) के तहत जल अवरोधक संरचना (कच्चा चेक डैम) के निर्माण में अनियमितता।		
				8	खनिजों के अवैध उत्खनन का निस्तारण न करना।		
				9	जनशक्ति की कमी।		
				10	सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप न देना।		
2.	6/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर		1	प्रादेशिक प्रभाग को वृक्षारोपण क्षेत्र का विलंबित हस्तांतरण/गैर-हस्तांतर।		
				2	कैम्पा (CAMP) के तहत वन रक्षक क्वार्टर व कच्चा चेक के निर्माण में अनियमितता।		
				3	मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत राशि का कम उपयोग।		
				4	राज्य योजनान्तर्गत निधि का उपयोग न करना।		
				5	उद्देश्य की उपलब्धि न होना		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कांडिका		कांडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				6	निधि का अभ्यर्पण में विलंब		
				7	जनशक्ति की कमी		
3.	10/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर		1	कैम्पा एवं नदी किनारे वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत चेक डैम के निर्माण में अनियमितता।		
				2	अतिक्रमित वन भूमि का गैर निष्कासन।		
				3	जब्त वाहनों का निपटान न करना।		
				4	खनिजों का अवैध उत्खनन के कारण राजस्व रोक।		
				5	जब्त वन उपज/अवैध कटाई का निस्तारण।		
				6	जनशक्ति की कमी।		
4.	11/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग (पूर्वी)		1	रुपये 17.30 करोड़ की गैर वसूली के कारण उपभोक्ता एजेंसी द्वारा एफ.सी. अधिनियम की शर्त का गैर-अनुपालन।		1730.00
				2	कार्य योजना की स्वीकृति के बिना राज्य योजना पर अनियमित व्यय।		
				3	वन रक्षक आवास के निर्माण एवं योजना के अंतर्गत नदी के किनारे वृक्षारोपण में अनियमितता।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कांडिका		कांडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				4	अतिक्रमित वन भूमि का गैर-निष्कासन।		
				5	जब्त वन उपज/अवैध कटाई का निस्तारण।		
				6	अवैध चारा मिल के कारण राजस्व नुकसान।		
				7	अवैध चारागाह मामलों का गैर-निपटान।		
				8	फाइरिंग मामलों का गैर-निपटान।		
				9	खनिजों के अवैध उत्खनन के कारण राजस्व रोक।		
				10	जब्त वाहन का गैर-निपटान।		
				11	राज्य योजना के अंतर्गत राशि की गैर-उपयोगिता।		
				12	उद्देश्य की प्राप्ति न होना।		
				13	निधि के अभ्यर्पण में विलंब।		
				14	जनशक्ति की कमी।		
5.	13/2022-23	उप निदेशक ब्याघ्र परियोजना, मेदिनानगर		1	रूपया 26.00 करोड़ की पुनःस्थापित निधि पर रोक।		2600.00
				2	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 26-ए के तहत भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना के लिए अंतिम अधिसूचना जारी नहीं करना।		
				3	पक्का चेक डैम निर्माण एवं पक्का नदी पथ निर्माण में अनियमितता।		
				4	बिना कार्य योजना स्वीकृति के राज्य योजना पर अनियमित व्यय।		
				5	जब्त वनों पज/अवैध कटाई का गैर-निस्तारण।		
				6	अतिक्रमित वन भूमि का गैर-निष्कासन।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				7	अवैध शिकार के मामलों का गैर-निस्तारण।		
				8	निधियों का अभ्यर्पण में विलंब।		
				9	जनशक्ति की कमी।		
6.	44/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यजीव प्रमण्डल, राँची		OBS-487374	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा बिरसा मृग विहार, कालामाटी के कुशल योजना के गैर-अनुमोदन के कारण प्रस्तावित योजना के अनुसार चिड़ियाघर के इच्छित विकास की उपलब्धि नहीं हुई।		
				OBS-487416	मुटा में गिद्धों के लिए संरक्षित प्रजनन केंद्र पर रु० 62.00 लाख का निष्फल व्यय।		62.00
				OBS-487418	दूसरे संस्थानों का निधि हस्तांतरण के कारण रु. 38.32 करोड़ का गैर समायोजन।		3832.00
				OBS-487406	मुटा के गैर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर में हिरणों के पालन-पोषण पर रु० 38.88 लाख रूपये का अनियमित व्यय।		38.88
				OBS-487434	वन अपराध मामले का गैर निस्तारण।		
				OBS-487469	रु० 8.70 लाख सूक्ष्म योजना तैयार करने पर अनियमित व्यय।		8.70
				OBS-487392	चिड़ियाघर के मगरमच्छ के लिए साथी उपलब्ध न कराने के कारण मगरमच्छ प्रजनन परियोजना विफल हो गई और साथ ही केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई।		
				OBS-487532	निधि की गैर उपयोगिता।		
				OBS-488117	जब्त वाहनों का गैर निस्तारण।		



क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कॉडिका		कॉडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
7.	45/2022-23	सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		OBS-492656	वन भवन विभागीय प्रादेशिक कार्यालय के निर्माण हेतु निधि का रोक।		
				OBS-491196	मुख्य शीर्ष- 4406 का गैर संचालन। (पूजीगत व्यय मद)		
				OBS-492515	गैर योजना मद के तहत निधि के समर्पण में विलंब।		
				OBS-492975	विभिन्न एजेंसियों/ संस्थानों को सहायता अनुदान।		
				i	अनुदान ग्राही एजेंसी/ संस्थानों द्वारा लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत नहीं किए गए।		
				ii	अनुदान सहायता के तहत व्यय का गलत प्रतिवेदन।		
				iii	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम के अनुदान की गैर उपयोगिता।		
				OBS-493140	आवंटित निधि का अनुपयोग / कम उपयोगिता।		
				OBS-492991	तीसरे पक्ष द्वारा वानिकी योजनाओं का गैर मूल्यांकन।		
				OBS-495872	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए गैर वन भूमि का आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने में अत्यधिक विलंब।		
8.	40/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल राँची		OBS-492656	मृदा संरक्षण योजनान्तर्गत पौधीकरण पर रु० 12.90 लाख का अत्यधिक व्यय।		12.90
				OBS-451563	संयगो की बिक्री के कारण राजस्व की गैर वसूली।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				OBS-452826	विभागीय रूप से निष्पादित कार्यों के वेतन घटक पर माल एवं सेवा कर का अनियमित प्रावधान।		
				OBS-453365	पौलिनेट गमला/बांस की नियमित खरीद		
				OBS-453768	प्रादेशिक प्रभास को वृक्षारोपण का अहस्तांतरण।		
				OBS-499684	प्रभाग द्वारा वाहनों का पंजीयन संख्या सुनिश्चित किए बिना विधेयक पारित कर दिया गया।		
9.	48/2022-23	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला		OBS-503851	अतिक्रमित वन भूमि की बेदखली न होने से राजस्व की हानि।		
				OBS-505017	जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।		
				OBS-502204	रु० 64.75 लाख के निधि की गैर उपयोगिता।		64.75
				OBS-506134	पेट्रोल की रिफिलिंग पर रु० 66500/- का अनुचित व्यय।		0.67
				OBS-502160	वन अधिकारी एवं व्यय के वेग को अनियमित लाभ दिया गया।		
				OBS-503844	अवैध कटाई / जब्त वनोपज का गैर निस्तारण।		
				OBS-503860	जब्त वाहनों का निपटान न करना।		
				OBS-505011	4.587 हेक्टेयर वन भूमि पर सधानीपाल जलविद्युत परियोजना अप्रती संहरण।		
				OBS-508741	लघु वनोपज उन्नयन योजना पर रु०137.479 लाख का निष्क्रिय व्यय।		137.479
10.	49/2022-23	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा		1	प्रदूषित क्षेत्र का पुनः दावा न करना।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				2	रुपया 35.45 लाख का निष्क्रिय निवेश।		35.45
				a	वन अखरोट प्रसंस्करण इकाई।		
				b	वृक्षा जनित तिलहन प्रसंस्करण इकाई		
				c	औषधीय पौधों का संग्रहण, सुखाने और भण्डारण की सुविधा।		
				3	अधिसूचित वन भूमि का गैर-सीमाकरण होने के कारण वन क्षेत्र में अतिक्रमण को आमंत्रित करना।		
				4	गैर-वनभूमि का वन भूमि के रूप में सीमाकरण, लेकिन आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित न होना।		
				5	जब्त वनोपज / वृक्षों की अवैध कटाई के गैर - निपटान के कारण राजस्व का अवरुद्ध होना।		
				6	वन क्षेत्र से खनिजों के अवैध निष्कर्षण/निकासी के कारण वन क्षेत्र प्रभावित होना।		
				7	अवैध चराई के कारण पौधों को नुकसान होना।		
				8	सरकारी धन को हानि पहुंचाने वाले वन भूमि पर अतिक्रमण का गैर - बेदखली।		
				9	जब्त वाहनों का गैर - निपटान।		
				10	पर्याप्त धन कोष का समर्पण तथा योजनाओं का गैर-कार्यान्वयन।		
				11	राज्य कार्य योजनाओं के अधीन चहारदीवारी पिलर का निर्माण।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				i	सामग्रियों का अनियमित क्रय।		
				ii	वैट/जी.एस.टी.का गैर-कटौती/जमा।		
				iii	मजदूरी और सामग्री एवं आपूर्ति के अधीन अत्यधिक व्यय।		
				12	जनवरी और फरवरी 2022 का मासिक लेखा		
				13	मार्च, 2022 माह का मासिक लेखा।		
				14	जी.एस.टी./टी.डी.एस. का गैर-कटौती।		
				15	गैर-पंजीकृत डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को जी.एस.टी. का भुगतान।		
				16	गैर-पंजीकृत डीलरों/फर्म से सेवा प्राप्त करना।		
				17	निविदा/मांग-पत्रों का गैर-निमंत्रण।		
				18	कार्य का अनियमित आवंटन।		
				19	वाउचर/चालन के बिना व्यय।		
				20	अनियमित भुगतान और कार्य का आवंटन।		
				21	एजेंसियों के चालानों में अनियमितता पाई गई।		
				22	रु० 23,75,706 का बकाया अग्रिम।		<b>23.76</b>
11.	53/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह, पूर्वी		OBS-516220	वन अपराध मामलों के संबंध में राज्य राजस्व का लंबित वसूली।		
				OBS-518202	वाउचरों में अनियमितताएं।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				OBS-515211	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना काम का अनियमित भटकाव।		
				OBS-510648	वृक्षारोपण पर मृदा संरक्षण योजना पर रु० 2.63 लाख का अधिव्यय।		2.63
				OBS-510645	कैम्पा के प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अधीन आवंटन की प्रत्याशा में प्रवेश बिंदु कार्य से फंड/निधि को डायवर्ट / दरकिनार करते हुए खाई बाड़ लगाने पर अनियमित व्यय।		
				OBS-510650	वन क्षेत्रों का गैर सीमांकन।		
				OBS-516217	जब्त वाहनों का गैर निपटान।		
12.	54/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह, पश्चिमी		OBS-530453	प्रशासनिक अनुमति और तकनीकी मंजूरी की प्राप्ति के बिना रु०353.285 लाख के मूल्य वाले कार्य का कार्यान्वयन।		353.285
				OBS-530063	प्रतिपूरक वनीकरण का देरी से निष्पादन के कारण रु०2.66 करोड़ का अधिक लागत होना।		266.00
				OBS-524777	परिवर्तन स्थल पर वनीकरण के अग्रिम कार्य पर 8.06 लाख का अनियमित व्यय।		8.06
				OBS-525774	रु० 5.95 लाख का सरकारी राजस्व की गैर वसूली।		5.95
				OBS-524781	पांचवे वर्ष के निर्वाह कार्य पर रु० 5.29 लाख का अतिरिक्त प्रावधान और व्यय।		5.29
				OBS-524775	वन क्षेत्रों का गैर सीमांकन।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कॉडिका		कॉडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				OBS-524785	योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षा और तृतीय पार्टी मूल्यांकन का संचालन नहीं करना।		
				OBS-525647	जब्त वाहनों का गैर निपटान।		
13.	58/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग, पश्चिमी		OBS-523826	जब्त वनोपज के गैर निपटान के कारण राजस्व का अवरुद्ध होना।		
				OBS-525202	वाउचरों के भुगतान में अनियमितता।		
				OBS-523951	अवैध चराई, फाइरिंग और आरा मशीन के कारण राजस्व का घाटा।		
				OBS-523806	संदिग्ध चालानों पर रूपया 41.23 लाख का भुगतान।		41.23
				OBS-521107	फरवरी, 2022 माह के लिए मासिक लेखा के वाउचर लेखापरीक्षा के दौरान अनियमितताएं पाई गयीं।		
					उत्खनन कार्य के लिए जे. सी.बी. का किराये पर लेना।		
					निविदा आमंत्रित करने का कार्य सौंपना।		
					अपंजीकृत एजेंसी का कार्य सौंपना।		
					कार्य का अनियमित निष्पादन।		
					कम्प्यूटर ऑपरेटर और चालकों का वेतन।		
					अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता डीलरों को इन-वाइस चालान।		
					इन-वाइस (चालानों)/मूल चालानों का गैर प्रस्तुत।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
					टी.डी.एस. का गैर कटौती।		
				OBS-524616	वन विज्ञान संचालन योजनाओं के निष्पादन / कार्यान्वयन में अनियमितताएं।		
				OBS-521124	गैर-वनभूमि का वनभूमि के रूप में सीमांकन, लेकिन आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित न होना।		
				OBS-523527	अधिसूचित वन भूमि का गैर सीमांकन होने के कारण वन क्षेत्र में अतिक्रमण।		
				OBS-523925	जब्त वाहनों का गैर निपटान।		
				OBS-524459	निधि की उपलब्धता के बावजूद सी.ए. भूमि के लक्ष्य की गैर उपलब्धि।		
14.	30/202-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य जीव, हजारीबाग		OBS-561353	कोडरमा और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के कारण वन्यजीव आवास का नुकसान।		
				1(i)	कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य।		
				(ii)	लोकई में नीला पत्थर उत्खनन।		
				(iii)	चितरपुर आरक्षित वन के सिरसीखा में पत्थर का अवैध उत्खनन।		
				2	हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य।		116.89
				OBS-561366	रुपये 1,16,88,757 प्रतिपूरक वनीकरण के गैर-निष्पादन / कार्यान्वयन के कारण अधिक लागत होना।		
				OBS-561356	अवैध चराई के कारण राजस्व का नुकसान।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				OBS-561357	वन्य जानवरों का जनगणना सर्वे।		
				(ii)	वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी – बूटियों और गैर – वन बंजर/खाली भूमि पर आँकड़े (डाटा) का गैर संग्रहण।		
				OBS-561359	अवैध कटाई के मामलों के लंबित निपटान।		
				OBS-561396	वन भूमि में अवैध खनन।		
				OBS-561361	पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान की गैर तैयारी।		
				OBS-561362	जब्त वाहनों का गैर निष्पादन।		
				OBS-561363	अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रवेश के लिए शुल्क न वसूलने के परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान।		
				OBS-561367	आग लगने की घटनाएं।		
				OBS-561370	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों का पालन न करना।		
				OBS-561383	अतिक्रमित वन भूमि को बेदखल न करना।		
				OBS-561403	निधि की गैर उपयोगिता।		
15.	68/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची	OBS-580414		लाह प्रसंस्करण इकाइयों पर रुपये 83.74 लाख का निष्क्रिय निवेश।		83.74
			OBS-582762		रुपये 40.92 लाख का निष्क्रिय निवेश।		40.92
				OBS-580309	निवल वर्तमान मूल्य की संशोधित दर पर मांग न उठाना।		
				OBS-583077	वित्तीय नियम का पालन न करना।		
				OBS-583370	वाउचरों के भुगतान में अनियमितताएं।		



क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				(i)	कर संग्रह करने का हकदारी नहीं रखने वाले आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाता को जी.एस.टी. (सी. जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी.) का भुगतान।		
				(ii)	जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. का कटौती न करना।		
				(iii)	लेखा के कार्य शीर्ष पर जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. जमा करना।		
				(iv)	निविदा / मांग-पत्र (कोटेशन) के आमंत्रण के बिना सामग्री की खरीद।		
				(v)	एस.ओ.आर. के आधार पर कार्य का अनियमित आवंटन।		
				OBS-580324	अवैध चराई के कारण राजस्व की हानि।		
				OBS-580250	अधिसूचित वन भूमि का सीमांकन न होने के कारण वन क्षेत्र में अतिक्रमण को आमंत्रित करना।		
				OBS-580267	जब्त वनोपज/वृक्षों की अवैध कटाई का निस्तारण न होने के कारण राजस्व का अवरुद्ध होना।		
				OBS-580279	सैद्धांतिक अनुमोदन का गैर-निस्तारण।		
				OBS-580318	गैर-वनभूमि को वनभूमि के रूप में सीमांकित किया गया, लेकिन आरक्षित / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया।		
				OBS-580360	जब्त वाहनों का निपटान न करना।		
				OBS-580384	लक्ष्य की कम उपलब्धि और निधि/धन का समर्पण।		
				OBS-583096	मासिक लेखा का अनुचित रख-रखाव।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)			
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी		
16.	69/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद		OBS-594254	छोटा वृक्षारोपण का निष्पादन न होना और एकिफोना के लिए वैकल्पिक आवास।				
				OBS-595505	अतिक्रमित वन भूमि की बेदखली न होना।				
				OBS-594252	जब्त वनोपज/अवैध कटाई का निस्तारण न होना।				
				OBS-594244	खनिजों के अवैध उत्खनन एवं फाईरिंग के मामलों का निस्तारण न होना।				
				OBS-594255	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा एफ.सी. अधिनियम की शर्तों का पालन न करना।				
				OBS-594272	योजना-वार सारांशों का अनुरक्षण (रख-रखाव) नहीं किया जाना, अपर्याप्त निगरानी के परिणाम के रूप में हुआ।				
				OBS-594277	वृक्षारोपण कार्य के संबंध में अनियमित दस्तावेज।				
				OBS-594281	प्रतिपूरक वनीकरण और वन्य वृक्षारोपण कार्य के लिए भूमि बैंक की अनुपलब्धता।				
				OBS-594284	आरा मिलों द्वारा मासिक विवरणी (रिटर्न) जमा नहीं करना।				
				OBS-595503	कैम्पा के अधीन जल संचयन संरचनाओं (चेक डैम) के निर्माण में अनियमितताएं।				
						1	बिना निविदा आमंत्रित किये सामग्रियों की खरीद।		
						2	धनराशि (निधि) जारी करने में विलम्ब।		
						3	रॉयल्टी की कटौती न करना।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कॉडिका		कॉडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				4	सामग्रियों एवं सेवाओं की खरीद में एकरूपता का अभाव।		
				OBS-597114	जब्त वाहनों का निपटान न करना।		
17.	71/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, गढ़वा		OBS-589960	वृक्षारोपण क्षेत्र का प्रादेशिक प्रभाग (डिवीजन) में विलंब हस्तांतरण के कारण सरकारी धन रुपये 28.67 लाख का नुकसान।		28.67
				OBS-589892	कैम्पा के अधीन चेक डैम के निर्माण में अनियमितताएं।		
				(i)	बिना निविदा के सामग्री का क्रय करना।		
				(ii)	वित्तीय संस्थान/एजेंसी से टी.डी.एस. का कटौती न करना और सरकारी लेखा में टी.डी.एस. का जमा न करना।		
				(iii)	रुपये 45,500 श्रम उपकार का गैर-कटौती / गैर-जमा।		0.46
				OBS-594934	मुख्यमंत्री जन वन योजना।		
				(i)	21.50 लाख रुपये निधि का गैर उपयोगिता।		21.50
				(ii)	लाभार्थियों का किया गया कम भुगतान रुपये 0.69 लाख।		0.69
				OBS-595502	सेवा पुस्तिका के रख-रखाव में अनियमितता।		
				OBS-595521	वाउचर/चालान प्रस्तुत न करना।		
				OBS-595662	प्रादेशिक प्रभाग को वृक्षारोपण स्थलों का गैर-हस्तांतरण।		
				OBS-595748	कार्य योजनाओं के अनुमोदन के बिना अनियमित व्यय।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				OBS-595771	भुगतान वाउचरों में पाई गई अनियमितता।		
				(i)	पंजीकरण संख्या के बिना/पंजीकरण संख्या सुनिश्चित किये बिना वाहनों के किराया शुल्क का भुगतान।		
				(ii)	क्वार्टर शीट पर भुगतान।		
				OBS-595835	वृक्षारोपण पंजिका का गैर-रखरखाव।		
18.	72/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज		OBS-598535	हाई पॉवर कमिटी द्वारा लगायी गयी शर्त का गैर पालन।		
				OBS-594574	सरकारी राजस्व रुपये 38.89 लाख का गैर वसूली।		38.89
				OBS-597187	शहद प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना एवं मधुमक्खी पालन का कार्य।		
				(i)	वार्षिक संचालन व्यय के लेखाओं पर रुपये 1.41 लाख का अतिरिक्त व्यय।		1.41
				(ii)	प्रोसेसिंग और पैकिंग परिसर के निर्माण में जी.एस.टी. के लेखाओं पर रुपये 0.28 लाख का अतिरिक्त व्यय।		0.28
				(iii)	सामाजिक अंकुषण और योजना के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की गैर-शर्त।		
				(iv)	योजना के अभिष्ट उद्देश्य की गैर उपलब्धि।		
				OBS-600555	वाउचरों में अनियमितताएं।		
				OBS-598319	अधिसूचित वन भूमि का वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण योजना।		
				(i)	स्वीकृत क्षेत्र से कम क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।		
				(ii)	4.48 लाख रुपये का अनियमित व्यय।		4.48

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				OBS-594519	जब्त वाहनों का गैर निपटान।		
				OBS-595525	जी.एस.टी. के लेखाओं पर रुपये 3.12 लाख का अत्यधिक प्रावधान और व्यय।		3.12
				OBS-595570	अधिसूचित/सीमांकित वन क्षेत्रों का गैर सीमांकन और गैर अधिसूचना।		
				OBS-600019	पांच वर्ष के सस्टेनेंस कार्य पर रुपये 1.13 लाख का अत्यधिक प्रावधान और व्यय।		1.13
19.	80/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा		OBS-614358	हार्ड पॉवर कमिटी (एचपीसी) के आदेशों का गैर अनुपालन अंगुठिया मोर लस बाबूपुर सड़क निर्माण में 74 वृक्षों का प्रतिरोपण एवं प्रतिपूरक वनरोपण।		
				(i)	जामताड़ा-बोदमा फाटक के निर्माण में 3058 वृक्षों का प्रतिरोपण एवं प्रतिरूपक वनरोपण।		
				OBS-614451	10 जल संचयन प्रणाली / डब्ल्यू एच एस/चेक डैम का निर्माण।		
				(i)	जी.एस.टी. पर लेखाओं का रुपये 4.68 लाख का प्राकलन और व्यय में अत्यधिक प्रावधान।		4.68
				(ii)	टी.डी.एस. की गैर कटौती।		
				OBS-614462	वृक्षारोपण में मृदा प्रोफाइल पिट का गैर-निष्पादन।		
				OBS-620860	सरकारी राजस्व की नाकाबंदी।		
				(i)	अतिक्रमित वन भूमि को बेदखल न करना।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				(ii)	जब्त की गई वन उपज / दवारहित उपज का निपटान न करना।		
				(iii)	जब्त किये गए वाहनों का गैर-निपटन।		
				OBS-620864	वन भूमि योजना के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के तहत वृक्षारोपण पर रुपये 4.68 लाख का अतिरिक्त व्यय।		4.68
				(a)	सामग्री की अनियमित खरीद।		
				(b)	मजदूरों के भुगतान में विसंगति।		
				OBS-620869	वाउचरों में अनियमितता।		
				(a)	अपंजीकृत डीलरों/फार्म से प्राप्त खरीद/सेवाएं।		
				(b)	मजदूरों के भुगतान में विसंगति।		
				(c)	अपंजीकृत डीलरों / अभिकर्ताओं को भुगतान किया गया जी.एस.टी.।		
				(d)	बिना चालान के व्यय।		
				OBS-620874	ठेकेदार एवं संवितरण खाता बही तैयार न करना।		
				OBS-621017	माइक्रो प्लान तैयार करने पर निष्फल व्यय।		
20.	84/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यजीव प्रमण्डल, गढ़वा, उत्तरी		OBS-631716	रुपये 145.57 लाख के कार्यों का अनियमित निष्पादन।		145.57
				OBS-632770	वाउचर में अनियमितता।		
					पंचम वर्ष भरण-पोषण वारी पर रुपये 4.54 लाख का अधिक प्रावधान।		4.54
				OBS-630428	वन क्षेत्रों का सीमांकन / अधिसूचना।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कांडिका		कांडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
21.	85/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार		OBS-620277	प्रादेशिक मंडल के वृक्षारोपण क्षेत्र के विलंबित हस्तांतरण के कारण रुपये 260.50 लाख का सरकारी रुपये की हानि।		260.50
				OBS-620339	वृक्षारोपण स्थलों में मृदा प्रोफाइल पिट का निष्पादन न करना।		
				OBS-620714	प्रादेशिक प्रभाग में वृक्षारोपण स्थलों का अहस्तांतरण।		
				OBS-620756	मुख्यमंत्री जन वन योजना।		
					रु. 67.92 लाख रुपये निधि का गैर उपयोगिता।		67.92
				OBS-620798	गैर योजना के तहत निधियों के अभ्यर्पण / समर्पण में विलम्ब।		
					कैम्पा के तहत चेक डैम के निर्माण में की गई अनियमितताएं।		
				OBS-624748	नियमों का उल्लंघन कर 27.30 लाख रुपये की सामग्री का अनियमित क्रय।		27.30
					फर्म/एजेंसी से टी.डी.एस. की कटौती न करना और सरकारी खाते में टी.डी.एस. जमा न करना।		
					श्रम उपकर की कटौती / गैर प्रावधान।		
				OBS-625009	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ता के विपत्रों से आयकर पर टी.डी.एस. की कटौती न करना।		
				OBS-625163	हाई-टेक नर्सरी की स्थापना और रख - रखाव।		
					निधि की गैर उपयोगिता और 42.03 लाख का समर्पण।		42.03

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कंडिका		कंडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
					नर्सरी में पौधारोपण न करना।		
22.	89/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा		OBS-635081	तिलैया पी.एफ. पर चेक डैम के निर्माण पर निष्फल व्यय।		
				OBS-625163	कैम्पा के तहत वन रक्षक और चेक डैम का निर्माण।		
				(i)	सामग्रियों की अनियमित खरीद।		
				(ii)	गैर कटौती जुर्माना।		
				OBS-625163	रुपये 17653 का बकाया अग्रिम।		0.18
				OBS-625163	मुख्यमंत्री जन वन योजना की धीमी प्रगति।		
				OBS-634216	06 जल संचयन प्रणाली (डब्ल्यू एच एस)/चेक डैम का निर्माण।		
				(i)	जी.एस.टी. के कारण अतिरिक्त प्रावधान और व्यय।		
				(ii)	श्रम उपस्कर की गैर कटौती/जमा।		
				OBS-634914	वन भूमि में वृक्षारोपण का प्रादेशिक खंड को हस्तांतरण न करना।		
				OBS-635199	वाउचर में अनियमितता।		
				(i)	अपंजीकृत डीलर/फर्म से प्राप्त सेवाओं/खरीद।		
				(ii)	मजदूरी का संदिग्ध भुगतान।		
				(iii)	अपंजीकृत/निरस्त जी.एस.टी.से प्राप्त की गई खरीद/सेवाएं और टिन न।		
				(iv)	समर्थन चालान के बिना वाउचर।		
				(v)	कार्यों का अनियमित पुरस्कार।		
				OBS-635210	अन्य अनियमितताएं।		



क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कांडिका		कांडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				(i)	कोषागार सत्यापन का परिणाम।		
				(ii)	कैम्पा कैश बुक में विसंगति।		
				OBS-635297	पर्याप्त निधि का अभ्यर्पण और योजनाओं का निष्पादन न करना।		
23.	86/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका		OBS-638793	वन भूमि के 14.217 हेक्टेयर के डायवर्जन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली।		
				OBS-637766	जब्त वनोपज/अवैध वृक्षों की वैध कटाई का निस्तारण न होने के कारण राजस्व का अवरुद्ध होना।		
				OBS-637779	अवैध आरा मिल से राजस्व की हानि।		
				OBS-637761	कार्य योजना के अनुमोदन के बिना राज्य योजना एवं कैम्पा योजनाओं पर अनियमित व्यय।		
				OBS-637767	विलंबित अभ्यर्पण और निधि का उपयोग न करना।		
				OBS-637778	वन भूमि का व्यपवर्तन।		
				OBS-637786	योजना की पूर्ति न होना अनुपयोगी निजी संरक्षित वन भूमि को ले जाता है।		
				OBS-637793	अधिसूचित वन भूमि का सीमांकन न होने के कारण वन क्षेत्र में अतिक्रमण को आमंत्रित करना।		
				OBS-637796	गैर वन भूमि को वन भूमि के रूप में सीमांकित किया गया है। लेकिन आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।		
				OBS-637810	लेखों का अनुचित रखरखाव।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कांडिका		कांडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				OBS-637886	जब्त वाहनों का निपटान न करना।		
24.	87/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (दक्षिण)		OBS-644146	प्रयोक्ता एजेंसी से एनपीवी, सीए और पीसीए की रुपये 28.62 करोड़ की वसूली न होना।		2800.62
				OBS-640615	वन भूमि पर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाने के कारण 22.45 करोड़ की शासकीय धन की हानि हुई।		2200.45
				OBS-639679	जब्त वनोपज का निस्तारण नहीं होने से 220.25 लाख का राजस्व अवरुद्ध हुआ।		220.25
				OBS-646487	रुपये 64.95 लाख के अनियमित और संदिग्ध व्यय।		64.95
				OBS-644393	लघु उत्पाद उन्नयन योजना 2019-20 के तहत कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं।		
				(i)	योजना के निष्पादन में अनियमिततायें।		
				(ii)	लाख प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पर निष्फल व्यय।		27.91
				(iii)	विभाग द्वारा वाउचर पास करने में अनियमितताएं।		
				OBS-639658	अवैध चराई, फाईरिंग और आरा मिल से राजस्व की हानि।		21.51
				OBS-639691	विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने में विलंब।		
				OBS-642221	अधिसूचित वन भूमि का सीमांकन न करने से वन में अतिक्रमण हो सकता है।		
				OBS-642262	गैर वन भूमि को वन भूमि के रूप में सीमांकित किया गया।		
				OBS-642468	जब्त वाहनों का निपटान न करना।		
				OBS-642486	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा एफसी अधिनियम की शर्तों के अनुपालन में विलंब।		

क्र.सं.	आई.आर.सं.	इकाई का नाम	कॉडिका		कॉडिका का सार	राशि (लाख में)	
			भाग-ए	भाग-बी		भाग-ए	भाग-बी
				OBS-643325	9 वर्ष से अधिक के बाद वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावों को रद्द न करना।		
				OBS-644132	कैम्पा के तहत चेक डैम के निर्माण में अनियमितताएं।		
					रॉयल्टी की कटौती न करना।		
					श्रम उपकरण की कटौती न करना।		
					सामग्री एवं सेवाओं की खरीद में अनियमितताएं।		
				OBS-646030	अपंजीकृत एजेंसियों / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सेवाओं के कारण अनियमित और संदिग्ध व्यय हुआ।		
				OBS-646403	माइक्रो प्लान तैयार करने पर 60 लाख रुपये का अनियमित व्यय।		60.00
				OBS-646415	आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाताओं को भुगतान में अनियमितताएं।		
				OBS-646530	अमान्य जी.एस.टी. संख्या वाली एजेंसियों / आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान।		
25.	91/2022-23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा		OBS-650161	क्षतिपूरक वनीकरण की अनुमानित लागत में रुपये 56.04 लाख की वृद्धि।		56.04
				OBS-652174	रु. 46.72 लाख मूल्य की प्राप्ति का गैर लेखा।		46.72
				OBS-651107	वाउचरों में अनियमितता।		
				OBS-651014	रु. 32.00 लाख के कार्य का अनियमित निष्पादन।		32.00
				OBS-650974	पंचम वर्ष भरण पोषण कार्य पर रु. 2.27 लाख अतिरिक्त प्रावधान।		2.27
				OBS-650955	रु. 1.51 लाख की सरकारी राजस्व की गैर वसूली।		1.51
				OBS-650959	जब्त वाहनों का गैर निष्पादन।		

# अनुबंध - क

## कंडिका-2.1

क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23	12-04-23
1	BKRFOR232	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल बोकारो	01-06-2022	10-06-2022	11-07-2022	10-08-2022	12-09-2022	17-10-2022	14-11-2022	15-12-2022	16-01-2023	20-02-2023	20-03-2023	10-05-2023
2	BKRFOR280	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो	20-05-2022	06-06-2022	18-07-2022	20-09-2022	20-09-2022	21-10-2022	07-11-2022	05-12-2022	09-01-2023	16-02-2023	15-03-2023	17-04-2023
3	BKRFOR289	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो	09-05-2022	02-06-2022	08-07-2022	04-08-2022	13-09-2022	14-10-2022	09-11-2022	06-12-2022	06-01-2023	08-02-2023	15-03-2023	13-04-2023
4	BKRFOR295	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, बोकारो	05-05-2022	03-06-2022	08-07-2022	04-08-2022	13-09-2022	14-10-2022	03-11-2022	08-12-2022	09-01-2023	14-02-2023	03-03-2023	18-04-2023
5	CTRFOR065	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	26-05-2022	08-06-2022	13-07-2022	24-08-2022	20-09-2022	28-10-2022	21-11-2022	28-12-2022	30-01-2023	03-03-2023	21-04-2023	06-05-2023
6	CTRFOR082	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	03-06-2022	13-06-2022	08-07-2022	08-08-2022	03-10-2022	21-10-2022	07-11-2022	26-12-2022	20-01-2023	22-02-2023	17-03-2023	03-05-2023
7	CTRFOR244	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा	02-05-2022	13-06-2022	04-07-2022	08-08-2022	13-09-2022	06-10-2022	07-11-2022	08-12-2022	09-01-2023	02-02-2023	06-03-2023	05-04-2023
8	DGRFOR063	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	13-05-2022	20-06-2022	14-07-2022	08-09-2022	08-09-2022	13-10-2022	23-11-2022	08-12-2022	06-01-2023	10-02-2023	22-03-2023	10-05-2023
9	DGRFOR194	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	03-06-2022	03-06-2022	07-07-2022	12-08-2022	12-09-2022	21-10-2022	14-11-2022	19-12-2022	18-01-2023	03-02-2023	20-03-2023	01-05-2023
10	DGRFOR281	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर	09-05-2022	02-06-2022	06-07-2022	04-08-2022	02-09-2022	10-10-2022	03-11-2022	01-12-2022	09-01-2023	06-02-2023	03-03-2023	06-04-2023
11	DGRFOR288	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका, देवघर	05-05-2022	06-06-2022	12-07-2022	16-08-2022	05-09-2022	18-10-2022	10-11-2022	05-12-2022	05-01-2023	06-02-2023	06-03-2023	05-04-2023
12	DHNFOR061	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	03-06-2022	12-06-2022	08-07-2022	16-08-2022	15-09-2022	20-10-2022	24-11-2022	23-12-2022	12-01-2023	17-02-2023	20-03-2023	08-05-2023
13	DMKFOR001	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	09-05-2022	03-06-2022	06-07-2022	11-08-2022	23-09-2022	21-10-2022	24-11-2022	22-12-2022	20-01-2023	20-02-2023	23-03-2023	01-05-2023
14	DMKFOR154	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका	09-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	04-08-2022	02-09-2022	10-10-2022	03-11-2022	01-12-2022	09-01-2023	03-02-2023	06-03-2023	03-04-2023

क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23	12-04-23
15	DMKFOR212	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम (तसर), दुमका	09-05-2022	06-06-2022	05-07-2022	08-08-2022	14-09-2022	28-10-2022	10-11-2022	23-12-2022	19-01-2023	24-02-2023	13-03-2023	28-04-2023
16	DMKFOR233	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	09-05-2022	03-06-2022	0-07-2022	12-08-2022	14-09-2022	07-10-2022	15-11-2022	08-12-2022	16-01-2023	13-02-2023	10-03-2023	01-05-2023
17	DMKFOR282	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका	09-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	04-08-2022	02-09-2022	10-10-2022	03-11-2022	01-12-2022	09-01-2023	03-02-2023	06-03-2023	03-04-2023
18	DMKFOR294	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संधाल परगना, दुमका	18-05-2022	03-06-2022	05-07-2022	11-08-2022	22-09-2022	19-10-2022	11-11-2022	06-12-2022	09-01-2023	10-02-2023	06-03-2023	13-04-2023
19	DRNFOR169	उप वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, राँची	04-05-2022	02-06-2022	12-07-2022	02-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	02-11-2022	01-12-2022	03-01-2023	03-02-2023	01-03-2023	03-04-2023
20	DRNFOR176	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची	02-05-2022	02-06-2022	04-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	07-10-2022	02-11-2022	02-12-2022	03-01-2023	03-02-2023	03-03-2023	03-04-2023
21	DRNFOR181	वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन, झारखण्ड, राँची	10-06-2022	10-06-2022	12-07-2022	04-08-2022	08-09-2022	11-10-2022	17-11-2022	13-12-2022	12-01-2023	17-02-2023	06-03-2023	08-05-2023
22	DRNFOR183	वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची	12-05-2022	10-06-2022	07-07-2022	10-08-2022	05-09-2022	11-10-2022	09-11-2022	08-12-2022	06-01-2023	15-02-2023	03-03-2023	13-04-2023
23	DRNFOR185	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची	05-05-2022	03-06-2022	05-07-2022	08-08-2022	05-09-2022	11-10-2022	02-11-2022	08-12-2022	09-01-2023	07-02-2023	17-03-2023	26-04-2023
24	DRNFOR189	मुख्य वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची	10-06-2022	10-06-2022	13-07-2022	22-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	23-11-2022	09-12-2022	18-01-2023	13-02-2023	31-03-2023	09-05-2023
25	DRNFOR205	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची	05-05-2022	02-06-2022	08-07-2022	17-10-2022	17-10-2022	17-10-2022	03-11-2022	02-12-2022	05-01-2023	03-02-2023	03-03-2023	03-04-2023
26	DRNFOR209	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची	10-06-2022	10-06-2022	04-07-2022	02-08-2022	08-09-2022	19-10-2022	22-11-2022	26-12-2022	24-01-2023	27-02-2023	21-03-2023	30-05-2023
27	DRNFOR210	मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राँची	09-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	10-10-2022	02-11-2022	02-12-2022	05-01-2023	03-02-2023	03-03-2023	27-04-2023

क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23	12-04-23
28	DRNFOR211	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, राँची	09-05-2022	02-06-2022	07-07-2022	02-08-2022	01-09-2022	10-10-2022	03-11-2022	02-12-2022	05-01-2023	07-02-2023	01-03-2023	05-04-2023
29	DRNFOR214	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	05-05-2022	03-06-2022	04-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	06-10-2022	03-11-2022	06-12-2022	03-01-2023	02-02-2023	02-03-2023	05-04-2023
30	DRNFOR215	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, योजना एवं अनुश्रवण प्रमण्डल, राँची	05-05-2022	02-06-2022	11-07-2022	04-08-2022	05-09-2022	07-10-2022	04-11-2022	06-12-2022	05-01-2023	20-02-23	03-03-2023	10-04-2023
31	DRNFOR216	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जन सम्पर्क, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची	11-05-2022	01-06-2022	06-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	06-10-2022	02-11-2022	02-12-2022	03-01-2023	03-02-2023	01-03-2023	06-04-2023
32	DRNFOR217	उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची	11-05-2022	06-6-2022	06-07-2022	05-08-2022	02-09-2022	06-10-2022	02-11-2022	02-12-2022	03-01-2023	06-02-2023	03-03-2023	05-04-2023
33	DRNFOR218	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जनजातीय कोषांग, झारखण्ड, राँची	09-05-2022	03-06-2022	12-07-2022	02-08-2022	05-09-2022	10-10-2022	02-11-2022	01-12-2022	02-01-2023	03-02-2023	01-03-2023	03-04-2023
34	DRNFOR219	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची	12-05-2022	03-6-2022	07-07-2022	04-08-2022	08-09-2022	12-10-2022	04-11-2022	05-12-2022	09-01-2023	08-02-2023	06-03-2023	13-04-2023
35	DRNFOR225	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	26-05-2022	06-06-2022	05-07-2022	08-08-2022	16-09-2022	18-10-2022	21-11-2022	20-12-2022	18-01-2023	10-02-2023	16-03-2023	13-05-2023
36	DRNFOR237	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची	24-05-2022	08-06-2022	13-07-2022	05-08-2022	02-09-2022	12-10-2022	09-11-2022	09-12-2022	10-01-2023	06-02-2023	02-03-2023	17-04-2023
37	DRNFOR245	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची	26-05-2022	02-06-2022	06-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	12-10-2022	02-11-2022	06-12-2022	06-01-2023	09-02-2023	06-03-2023	25-04-2023
38	DRNFOR246	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची	02-05-2022	02-06-2022	04-07-2022	04-08-2022	05-09-2022	06-10-2022	02-11-2022	06-12-2022	03-01-2023	03-02-2023	06-03-2023	13-04-2023
39	DRNFOR247	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची	05-05-2022	02-06-2022	06-07-2022	03-08-2022	05-09-2022	12-10-2022	02-11-2022	02-12-2022	03-01-2023	10-02-2023	02-03-2023	12-04-2023
40	DRNFOR248	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची	05-05-2022	03-06-2022	04-07-2022	05-08-2022	02-09-2022	10-10-2022	02-11-2022	02-12-2022	0-01-2023	03-02-2023	02-03-2023	27-04-2023

क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23	12-04-23
41	DRNFOR249	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड	06-05-2022	03-06-2022	05-07-2022	02-08-2022	12-09-2022	10-10-2022	02-11-2022	02-12-2022	02-01-2023	03-02-2023	03-03-2023	05-04-2023
42	DRNFOR250	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए०, झारखण्ड	09-05-2022	03-06-2022	12-07-2022	02-08-2022	05-09-2022	10-10-2022	02-11-2022	02-12-2022	02-01-2023	03-02-2023	01-03-2023	03-04-2023
43	DRNFOR255	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, राँची	10-05-2022	01-06-2022	12-07-2022	04-08-2022	02-09-2022	11-10-2022	02-11-2022	06-12-2022	04-01-2023	03-02-2023	06-03-2023	06-04-2023
44	DRNFOR256	मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड	05-05-2022	13-06-2022	13-07-2022	17-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	01-11-2022	09-12-2022	09-01-2023	02-02-2023	13-03-2023	20-04-2023
45	DRNFOR257	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, राँची	05-05-2022	06-06-2022	05-07-2022	05-08-2022	02-09-2022	07-10-2022	02-11-2022	01-12-2022	03-01-2023	02-02-2023	03-03-2023	03-04-2023
46	DRNFOR258	मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड	02-05-2022	03-06-2022	05-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	03-10-2022	17-11-2022	02-12-2022	03-01-2023	03-02-2023	01-03-2023	03-04-2023
47	DRNFOR259	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड	10-05-2022	07-06-2022	04-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	10-10-2022	03-11-2022	14-12-2022	16-01-2023	03-02-2023	06-03-2023	21-04-2023
48	DRNFOR260	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची	02-05-2022	01-06-2022	04-07-2022	01-08-2022	02-09-2022	06-10-2022	03-11-2022	01-12-2022	03-01-2023	06-02-2023	01-03-2023	11-04-2023
49	DRNFOR263	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	27-05-2022	08-06-2022	04-07-2022	04-08-2022	30-09-2022	21-10-2022	26-04-2023	21-12-2022	18-01-2023	22-02-2023	23-03-2022	14-05-2023
50	DRNFOR264	उप वन संरक्षक, योजना, गैर-जनजातीय क्षेत्र, राँची	27-05-2022	07-06-2022	07-07-2022	08-08-2022	08-09-2022	10-10-2022	09-11-2022	07-12-2022	06-01-2023	13-02-2023	14-03-2023	13-04-2023
51	DRNFOR265	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची	06-05-2022	03-06-2022	05-07-2022	12-08-2022	12-09-2022	13-10-2022	07-11-2022	19-12-2022	17-01-2023	20-02-2023	14-03-2023	24-04-2023
52	DRNFOR291	उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची	09-05-2022	03-06-2022	05-07-2022	03-08-2022	05-09-2022	07-10-2022	10-11-2022	02-12-2022	06-01-2023	07-02-2023	03-03-2023	12-04-2023
53	DRNFOR292	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची	02-05-2022	02-06-2022	12-07-2022	01-08-2022	05-09-2022	12-10-2022	04-11-2022	02-12-2022	11-01-2023	03-02-2023	10-03-2023	26-04-2023
54	DRNFOR296	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची	10-05-2022	07-06-2022	15-07-2022	04-08-2022	05-09-2022	10-10-2022	03-11-2022	06-12-2022	10-01-2023	10-02-2023	03-03-2023	19-04-2023
55	DRNFOR297	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना, झारखण्ड, राँची	05-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	04-08-2022	09-09-2022	11-10-2022	18-11-2022	06-12-2022	12-01-2023	03-02-2023	10-03-2023	18-04-2023
56	GDDFOR164	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	30-05-2022	17-06-2022	08-07-2022	03-08-2022	10-10-2022	10-10-2022	10-11-2022	08-12-2022	10-01-2023	08-02-2023	15-03-2023	18-04-2023

क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23	12-04-23
57	GMLFOR121	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	18-05-2022	02-06-2022	08-07-2022	05-08-2022	12-09-2022	18-10-2022	22-11-2022	16-12-2022	20-01-2023	17-02-2023	17-03-2023	05-05-2023
58	GMLFOR123	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, गुमला	05-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	01-08-2022	12-09-2022	20-10-2022	11-11-2022	07-12-2022	19-01-2023	22-02-2023	06-03-2023	11-04-2023
59	GMLFOR290	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला	05-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	04-08-2022	02-09-2022	07-10-2022	04-11-2022	05-12-2022	06-01-2023	07-02-2023	06-03-2023	06-04-2023
60	GRDFOR243	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह	10-05-2022	03-06-2022	07-07-2022	10-08-2022	14-09-2022	14-10-2022	10-11-2022	09-12-2022	16-01-2023	15-02-2023	16-03-2023	13-04-2023
61	GRDFOR283	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	18-05-2022	03-06-2022	07-07-2022	17-08-2022	21-09-2022	26-10-2022	14-11-2022	19-12-2022	16-01-2023	17-02-2023	27-03-2023	09-05-2023
62	GRDFOR284	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	03-06-2022	03-06-2022	17-08-2022	10-08-2022	08-09-2022	20-10-2022	16-11-2022	26-12-2022	20-01-2023	17-02-2023	22-03-2023	11-05-2023
63	GRHFOR131	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा (दक्षिणी) वन प्रमण्डल, गढ़वा	23-05-2022	03-06-2022	06-07-2022	10-08-2022	09-09-2022	18-10-2022	07-11-2022	08-12-2022	12-01-2023	08-02-2023	17-03-2023	09-05-2023
64	GRHFOR132	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा (उत्तरी) वन प्रमण्डल, गढ़वा	13-05-2022	03-06-2022	07-07-2022	04-08-2022	07-09-2022	18-10-2022	11-11-2022	20-12-2022	12-01-2023	15-02-2023	16-03-2023	08-05-2023
65	GRHFOR135	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	30-05-2022	03-06-2022	11-07-2022	12-08-2022	09-09-2022	21-11-2022	02-12-2022	26-12-2022	24-01-23	15-02-2023	18-04-2023	15-05-2023
66	GRHFOR293	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा	09-05-2022	03-06-2022	11-07-2022	12-08-2022	09-09-2022	11-10-2022	11-11-2022	06-12-2022	09-01-2023	15-02-2023	14-03-2023	18-04-2023
67	HZBFOR053	निदेशक, वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	11-05-2022	03-06-2022	05-07-2022	08-08-2022	08-09-2022	10-10-2022	10-11-2022	19-12-2022	31-01-2023	08-02-2023	28-03-2023	22-05-2023
68	HZBFOR054	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग	04-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	07-10-2022	03-11-2022	02-12-2022	02-01-2023	02-02-2023	02-03-2023	05-04-2023
69	HZBFOR057	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	16-05-2022	06-06-2022	07-07-2022	10-08-2022	12-09-2022	21-10-2022	22-11-2022	26-12-2022	27-01-2023	01-03-2023	21-04-2023	08-05-2023
70	HZBFOR058	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	05-05-2022	03-06-2022	07-07-2022	02-08-2022	05-09-2022	07-10-2022	04-11-2022	08-12-2022	09-01-2023	07-02-2023	06-03-2023	02-05-2023



क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23	12-04-23
71	HZBFOR105	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, हजारीबाग पश्चिमी	09-05-2022	01-06-2022	05-07-2022	08-08-2022	15-09-2022	12-10-2022	10-11-21022	13-12-2022	09-01-2023	17-02-2023	06-03-2023	25-04-2023
72	HZBFOR107	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	06-05-2022	03-06-2022	12-07-2022	12-08-2022	15-09-2022	13-10-2022	10-11-2022	13-12-2022	12-01-2023	14-02-2023	16-03-2023	28-04-2023
73	HZBFOR152	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	23-05-2022	03-06-2022	08-07-2022	11-08-2022	19-09-2022	18-10-2022	18-11-2022	12-12-2022	23-01-2023	01-03-2023	31-03-2023	05-05-2023
74	HZBFOR196	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग	05-05-2022	03-06-2022	06-07-2022	02-08-2022	05-09-2022	10-10-2022	03-11-2022	06-12-2022	03-01-2023	03-02-2023	03-03-2023	28-04-2023
75	HZBFOR270	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग	02-05-2022	08-06-2022	05-07-2022	10-08-2022	07-09-2022	07-10-2022	06-12-2022	06-01-2023	10-02-2023	03-03-2023	05-04-2023	18-04-2022
76	HZBFOR272	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग	04-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	02-08-2022	02-09-2022	07-10-2022	03-11-2022	02-12-2022	03-01-2023	02-02-2023	06-03-2023	06-04-2023
77	JMTFOR165	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	19-05-2022	03-06-2022	15-07-2022	10-08-2022	20-09-2022	19-10-2022	25-11-2022	08-12-2022	10-01-2023	08-02-2023	16-03-2023	17-05-2023
78	JSRFOR114	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर	11-05-2022	02-06-2022	12-07-2022	05-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	04-11-2022	06-12-2022	06-01-2023	02-02-2023	22-03-2023	10-04-2023
79	JSRFOR116	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	09-05-2022	03-06-2022	07-07-2022	10-08-2022	08-09-2022	13-10-2022	10-11-2022	07-12-2022	12-01-2023	10-02-2023	14-03-2023	05-05-2023
80	JSRFOR267	वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल जमशेदपुर	09-05-2022	07-06-2022	05-07-2022	08-08-2022	07-09-2022	12-10-2022	02-11-2022	13-12-2022	05-01-2023	07-02-2023	06-03-2023	10-04-2023
81	JSRFOR268	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	09-05-2022	06-06-2022	06-07-2022	08-0802922	05-09-2022	19-10-2022	09-11-2022	12-12-2022	121-01-20232	13-02-2023	14-03-2023	28-04-2023
82	JSRFOR269	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	06-06-2022	06-06-2022	08-07-2022	05-08-2022	09-09-2022	13-10-2022	16-11-2022	13-12-2022	18-01-2023	16-02-2023	20-03-2023	02-05-2023
83	JSRFOR298	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा, जमशेदपुर	27-05-2022	03-06-2022	06-07-2022	05-08-2022	09-09-2022	20-10-2022	04-11-2022	07-12-2022	04-01-2023	08-02-2023	21-03-2023	06-04-2023

क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23
84	KDMFOR229	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	31-08-2022	03-06-2022	12-07-2022	12-08-2022	21-09-2022	20-10-2022	18-11-2022	19-12-2022	19-01-2023	21-02-2023	20-03-2023	08-05-2023
85	KDMFOR230	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	09-05-2022	02-06-2022	12-07-2022	03-08-2022	08-09-2022	19-10-2022	21-11-2022	02-12-2022	12-01-2023	10-02-2023	22-03-2023	28-04-2023
86	KHNFOR226	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	10-06-2022	06-06-2022	11-07-2022	10-08-2022	12-09-2022	14-10-2022	16-11-2022	16-12-2022	18-01-2023	31-03-2023	02-05-2023	08-05-2023
87	LDGFOR285	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	17-05-2022	07-06-2022	11-07-2022	10-08-2022	12-09-2022	17-10-2022	21-11-2022	15-12-2022	20-01-2023	17-02-2023	20-03-2023	07-05-2023
88	LTRFOR234	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	09-05-2022	02-06-2022	07-07-2022	10-08-2022	08-09-2022	14-10-2022	11-11-2022	12-12-2022	11-01-2023	13-04-2023	20-03-2023	08-05-2023
89	LTRFOR235	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, लातेहार	06-05-2022	09-06-2022	07-07-2022	04-08-2022	07-09-2022	10-10-2022	04-11-2022	05-12-2022	19-01-2023	15-02-2023	22-03-2023	27-04-2023
90	LTRFOR236	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	13-05-2022	06-06-2022	06-07-2022	04-08-2022	30-09-2022	14-11-2022	14-11-2022	26-12-2022	19-01-2023	15-02-2023	13-04-2023	05-05-2023
91	PKRFOR162	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	12-05-2022	20-06-2022	18-07-2022	12-08-2022	20-09-2022	19-10-2022	21-11-2022	14-12-2022	18-01-2023	16-02-2023	20-03-2023	02-05-2023
92	PLMFOR074	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, डालटनगंज	03-06-2022	03-06-2022	06-07-2022	04-08-2022	01-09-2022	21-10-2022	14-11-2022	05-12-2022	16-01-2023	17-02-2023	23-03-2023	12-04-2023
93	PLMFOR076	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू	02-05-2022	03-06-2022	04-07-2022	05-08-2022	05-09-2022	10-10-2022	07-11-2022	01-12-2022	03-01-2023	07-02-2023	06-03-2023	05-04-2023
94	PLMFOR238	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, मेदिनीनगर	05-05-2022	02-06-2022	06-07-2022	05-08-2022	12-9-2022	11-10-2022	11-11-2022	13-12-2022	05-01-2023	08-02-2023	20-03-2023	28-04-2023
95	PLMFOR274	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज, मेदिनीनगर	09-05-2022	02-06-2022	04-07-2022	04-08-2022	20-09-2022	14-10-2022	07-11-2022	05-12-2022	05-01-2023	07-02-2023	06-03-2023	20-04-2023
96	PLMFOR275	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर, पलामू	11-05-2022	14-06-2022	12-07-2022	26-08-2022	08-09-2022	07-10-2022	10-11-2022	07-12-2022	17-01-2023	22-02-2023	13-03-2023	18-04-2023

क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23	12-04-23
97	PLMFOR278	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	09-05-2022	02-06-2022	04-07-2022	04-08-2022	07-09-2022	07-10-2022	10-11-2022	09-12-2022	16-01-2023	10-04-2023	16-03-2023	03-05-2023
98	PLMFOR279	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	02-06-2022	02-06-2022	12-07-2022	08-08-2022	20-09-2022	21-10-2022	24-11-2022	20-12-2022	25-01-2023	28-02-2023	22-03-2023	05-05-2023
99	PLMFOR287	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	02-06-2022	08-06-2022	12-07-2022	08-09-2022	05-12-2022	21-12-2022	23-12-2022	23-12-2022	23-02-2023	10-03-2023	20-03-2023	18-05-2023
100	RMGFOR231	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	09-05-2022	02-06-2022	08-07-2022	12-08-2022	09-09-2022	19-10-2022	10-11-2022	19-12-2022	17-01-2023	13-02-2023	22-03-2023	06-05-2023
101	SBJFOR193	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	16-05-2022	06-06-2022	08-07-2022	08-08-2022	08-09-2022	12-10-2022	25-11-2022	19-12-2022	20-01-2023	20-02-2023	20-03-2023	06-05-2023
102	SDGFOR167	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	20-05-2022	02-06-2022	05-07-2022	05-08-2022	14-09-2022	13-10-2022	18-11-2022	15-12-2022	13-01-2023	16-02-2023	17-03-2023	05-05-2023
103	SDGFOR228	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	09-05-2022	03-06-2022	11-07-2022	08-08-2022	12-09-2022	14-10-2022	10-11-2022	14-12-2022	12-01-2023	08-02-2023	20-03-2023	08-05-2023
104	SGHFOR089	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	12-05-2022	07-06-2022	08-07-2022	05-08-2022	09-09-2022	10-10-2022	07-11-2022	05-11-2022	09-01-2023	10-02-2023	06-03-2023	03-05-2023
105	SGHFOR090	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	04-05-2022	03-06-2022	06-07-2022	08-08-2022	05-09-2022	10-10-2022	02-11-2022	09-12-2022	09-01-2023	08-02-2023	09-03-2023	27-04-2023
106	SGHFOR137	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल – II चाईबासा	11-05-2022	08-06-2022	11-07-2022	05-08-2022	09-09-2022	13-10-2022	18-11-2022	12-12-2022	09-01-2023	21-02-2023	06-03-2023	02-05-2023
107	SGHFOR139	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	06-05-2022	06-06-2022	05-07-2022	08-08-2022	08-09-2022	13-10-2022	04-11-2022	07-12-2022	11-01-2023	20-02-2023	10-03-2023	03-05-2023
108	SGHFOR140	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	10-05-2022	03-06-2022	08-07-2022	03-08-2022	03-09-2022	10-10-2022	07-11-2022	05-12-2022	09-01-2023	09-02-2023	06-03-2023	03-05-2023
109	SGHFOR143	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा राजकीय व्यापार प्रमण्डल, चाईबासा	05-05-2022	02-06-2022	12-07-2022	04-08-2022	07-09-2022	12-10-2022	04-11-2022	06-12-2022	09-01-2023	06-02-2023	13-03-2023	12-04-2023

क्र० सं०	प्रमण्डल कोड	प्रमण्डल/अंचल का नाम लेखा प्रस्तुत करने की नियत तिथि	2022-23 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			05-05-22	05-06-22	05-07-22	05-08-22	05-09-22	05-10-22	05-11-22	05-12-22	05-01-23	05-02-23	05-03-23	12-04-23
110	SGHFOR144	वन प्रमण्डल, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल (तसर), चाईबासा	04-05-2022	03-06-2022	06-07-2022	03-08-2022	02-09-2022	06-10-2022	02-11-2022	09-12-2022	05-01-2023	03-02-2023	02-03-2023	27-04-2023
111	SGHFOR252	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा	09-05-2022	06-06-2022	06-07-2022	04-08-2022	07-09-2022	12-10-2022	07-11-2022	05-12-2022	06-01-2023	09-02-2023	06-03-2023	10-04-2023
112	SGHFOR253	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	13-05-2022	03-06-2022	07-07-2022	04-08-2022	05-09-2022	14-10-2022	11-11-2022	07-12-2022	11-01-2023	21-02-2023	16-05-2023	28-04-2023
113	SKLFOR163	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	13-05-2022	06-06-2022	06-07-2022	10-08-2022	19-09-2022	21-10-2022	18-11-2022	16-12-2022	17-01-2023	10-02-2023	20-03-2023	13-05-2022

## अनुबंध— ख

कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) के अंतर्गत लेखाओं का लेखाकरण करने वाले प्रमण्डलों/अंचलों का विस्तृत विवरण : -

क्रम सं०	वन प्रमण्डलों/अंचलों के नाम
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल बोकारो
2	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो
3	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो
4	वन संरक्षक, कार्य योजना अंचल, बोकारो
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा
7	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा
8	वन संरक्षक कार्य योजना अंचल, दुमका, देवघर
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर
11	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका
14	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका
15	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम (तसर), दुमका
16	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका
17	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका
18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी, संधाल परगना, दुमका
19	उप वन संरक्षक, योजना समन्वय इकाई, झारखंड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, राँची
20	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची
21	वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची
22	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची
23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची
24	मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राँची
25	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, राँची
26	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अंचल, राँची
27	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जन सम्पर्क, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची
28	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची
29	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, राँची

क्रम सं०	वन प्रमण्डलों / अंचलों के नाम
30	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, राँची
31	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखंड, राँची
32	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखंड, राँची
33	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखंड
34	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, राँची
35	उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची
36	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखंड, राँची
37	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए०, झारखंड,
38	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, राँची
39	मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची
40	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची
41	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जनजातीय कोषांग, राँची
42	उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची
43	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची
44	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना, राँची
45	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा
46	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला
47	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला राजकीय व्यापार प्रमंडल, गुमला
48	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला
49	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह
50	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह
51	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह
52	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा (दक्षिणी) वन प्रमण्डल, गढ़वा
53	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा (उत्तरी) वन प्रमण्डल, गढ़वा
54	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रमण्डल, गढ़वा
55	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा
56	निदेशक, वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग
57	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग
58	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग
59	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, हजारीबाग पश्चिमी
60	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग

क्रम सं०	वन प्रमण्डलों / अंचलों के नाम
61	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग
62	वन संरक्षक कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग
63	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग
64	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग
65	चतरा (उत्तरी) वन प्रमण्डल, चतरा
66	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर
67	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर
68	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर
69	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर
70	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर
71	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा
72	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा
73	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी
74	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार
75	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार
76	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याध परियोजना, डालटनगंज, मेदिनीनगर
77	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, मेदिनीनगर
78	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू
79	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, डालटनगंज
80	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज
81	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़
82	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा
83	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा
84	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा
85	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल-II, चाईबासा
86	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोडाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा
87	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारंडा राजकीय व्यापार प्रमण्डल, चाईबासा
88	मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा
89	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा
90	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा
91	वन संरक्षक कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा, जमशेदपुर







